भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1107**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**निर्भया परियोजना का ब्‍यौरा**

**1107. श्री डी. राजा :**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या यह सच है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्ष 2015-16 में 79.6 करोड़ रुपये की लागत से निर्भया परियोजना तैयार की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्‍यौरा क्‍या है और अब तक कितनी धनराशि व्‍यय की गई है और तत्‍संबंधी उद्देश्‍य क्‍या हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : वित्‍त मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने पर उद्देशित प्रयासों के कार्यान्‍वयन के लिए वर्ष 2013 में निर्भया नामक एक प्रतिबद्धित कोष की स्‍थापना की है। वित्‍त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्भया कोष के अंतर्गत निधियन किए जाने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तावित विभिन्‍न स्कीमों/परियोजनाओं के मूल्‍यांकन और अनुमोदन करने के लिए सचिव, म.बा.वि. की अध्‍यक्षता में अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्‍त समिति गठित की गई है। निर्भया कोष के अंतर्गत, अभी तक 2348.85 करोड़ रुपये के 16 प्रस्ताव प्राप्‍त हुए हें, जिनमें से अधिकार प्राप्‍त समिति द्वारा 2047.85 करोड़ रुपये के 15 प्रस्‍तावों का मूल्‍यांकन और अनुमोदित किया गया है। निर्भया कोष के अंतर्गत विचार के लिए 79.6 करोड़ रूपये का कोई प्रस्ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*